

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)( )डीएलबी/17/1046


दिनांक: 5-2-2020

आदेश

निर्देशानुसार नगरपालिका, मेडता एवं भीनमाल में पैरवी की स्थायी व्यवस्था हेतु निम्नांकित अधिवक्ताओं को नियमानुसार देय पारिश्रमिक भुगतान पर अग्रिम आदेशों तक के लिए पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार लगाया जाता है:-

क्रं.स.	अधिवक्ता का नाम	संबंधित नगरपालिका का नाम
1.	श्री रामकिशोर पंचारिया विधि सलाहकार के स्थान पर श्री दीनाराम चौधरी, एनरोलमेनट नं. आर/699/2004	नगरपालिका मेडता (नागौर)
2.	श्री जगदीश परमार, एनरोलमेनट नं. आर/793/2002	नगरपालिका, भीनमाल

इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान संबंधित नगरीय निकाय से देय होगा। उक्त आदेश पद रिक्त होने पर ही लागू होगा।


  
(उज्ज्वल राठौड़)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक: 5-2-2020

क्रमांक: प.8 (क)(वि.स.)( )डीएलबी/17/1047-1055

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर/उदयपुर।
05. अध्यक्ष/अधिशायी अधिकारी, नगरपालिका, मेडता, भीनमाल।
06. श्री ..... एडवोकेट मार्फत, नगरपालिका, मेडता, भीनमाल।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

  
(संजय माथुर)  
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी